रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230890 CG-DL-E-02112021-230890

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4203] No. 4203] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

कृषि और कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2021

का.आ. 4564(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 क के अनुसरण में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित किए जाने वाले अनंतिम उर्वरक फास्फोजिप्सम से संबंधित निम्ललिखित विनिर्दिशों को अधिसुचित करती है।

फास्फोजिप्सम

i	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	15.0
ii	भार के आधार पर शुष्क सोडियम अंतवर्तु (एन ए के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	0.75
iii	कण का आकार ऐसा हो कि 2 एम एम की भारतीय मानक छलनी से निकल जाए	
	और उसका 50% 0.25 एम एम की भारतीय मानक छलनी (60 मेश) से निकल	
	जाए।	
iv	भार के आधार पर शुष्क सल्फर (एस के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	13.0
V	भार के आधार पर शुष्क कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट अंतवर्तु का प्रतिशत न्यूनतम	70.0
vi	भार के आधार पर फ्लोराइड (एफ के रूप में) का प्रतिशत अधिकतम	1.0
vii	भारी धातु अंतवर्तु (मिलिग्राम प्रति किलाग्राम के रूप में) अधिकतम	

6334 GI/2021 (1)

सीसा (पीबी के रूप में)	100.0
केडमियम (सीडी के रूप में)	5.0
क्रोमियम (सीआर के रूप में)	50.0
निकल (एन आई के रूप में)	50.0
आर्सेनिक (एएस2ओ3 के रूप में)	10.0
पारा (एचजी के रूप में)	0.15

[फा. सं. 2-3/2021- उवर्रक विधि] प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 1st November, 2021

S.O. 4564(E).—In pursuance of clause 20 A of the Fertilizer(Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, the Central Government hereby notifies the following specifications in respect of provisional fertiliser Phosphogypsum to be manufactured in India for a period of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

Phosphogypsum,-

(i)	Moisture percentage by weight, maximum	15.0
(ii)	Sodium content as (Na), per cent. by weight, maximum on dry basis	0.75
(iii)	Particles size: the material shall pass through 2 mm IS sieve and 50 per cent.	
	of it shall pass through 0.25 mm IS sieve (60 mesh)	
(iv)	Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum on dry basis	13.0
(v)	Calcium sulphate dihydrate content per cent. by weight, minimum	
	on dry basis	70.0
(vi)	Flouride (as F) per cent. by weight, maximum	1.0
(vii)	Heavy metal content, (as mg per kg), maximum	
	(a) Lead (as Pb)	100.0
	(b) Cadmium (as Cd)	5.0
	(c) Chromium (as Cr)	50.0
	(d) Nickel (as Ni)	50.0
	(e) Arsenic (asAs ₂ O ₃)	10.0
	(f) Mercury (as Hg)	0.15

[F. No. 2-3/2021 Fert. Law] PRIYA RANJAN, Jt. Secy.